

भारत सरकार
विदेश मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 583
दिनांक 09.12.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

खाड़ी देशों में भारतीय कामगार

583. श्री उत्तम कुमार रेड्डी नालंदा:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय कामगारों की कुल संख्या कितनी है;
- (ख) क्या सरकार ने खाड़ी देशों में भारतीय कामगारों के लिए लागू न्यूनतम रेफरल मजदूरी में कमी की है;
- (ग) क्या खाड़ी देशों में भारतीय कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों ने सरकार से इस कटौती को वापस लेने का अनुरोध किया है;
- (घ) यदि हां, तो क्या सरकार को उनके अनुरोध को स्वीकार करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ङ) क्या सरकार ने प्रत्येक कामगार की आय के नुकसान के संदर्भ में इसके प्रभाव का अनुमान लगाया है; और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री वी. मुरलीधरन]

(क) से (च) खाड़ी देशों में हमारे मिशनों के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भारतीयों (कामगारों सहित) की अनुमानित संख्या निम्नानुसार है:

देश का नाम	भारतीयों की अनुमानित संख्या (कामगारों सहित)
बहरीन	308662
कुवैत	924687
ओमान	653500
कतर	844499
सऊदी अरब	2465464
संयुक्त अरब अमीरात	3554274
कुल	8751086

मंत्रालय ईसीआर पासपोर्ट श्रेणी के श्रमिकों का रेकॉर्ड रखता है जो ईमाइग्रेट पोर्टल के माध्यम से उत्प्रवास अनापत्ति प्राप्त करने के बाद खाड़ी देशों में गए हैं। ई-माइग्रेट पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, पिछले चार वर्षों के दौरान 6 खाड़ी देशों के लिए भारतीय ईसीआर श्रेणी के पासपोर्ट धारकों को उत्प्रवास अनापत्ति की देशवार संख्या निम्नानुसार है:

देश का नाम	2019	2020	2021	2022 (31 अक्टूबर तक)	कुल
बहरीन	9997	4175	6382	9706	30260
कुवैत	45712	8107	10158	65689	129666
ओमान	28392	7206	19452	29845	84895
कतर	31810	8907	49579	28556	118852
सऊदी अरब	161103	44316	32845	151072	389336
संयुक्त अरब अमीरात	76112	17891	10844	30164	135011
कुल	353126	90602	129260	315032	888020

6 खाड़ी देशों में रोजगार के लिए न्यूनतम रेफरल मजदूरी (एमआरडबल्यू) अब उतनी ही है जितनी 2019-20 में थी। 10 महीने की संक्षिप्त अवधि के लिए, खाड़ी में हमारे रोजगार की रक्षा के लिए, कोविड की स्थिति के कारण, एमआरडबल्यू को समायोजित करके कम कर दिया गया था। श्रम बाजार स्थिर होते ही, पहले के एमआरडबल्यू को पुनः लागू कर दिया गया था।
